

राजस्व लोक अदालत केम्प

मुकदमा नम्बर 52/18

जोरपुरा-सुन्दरियावास

वादी-

17/5/18

अज्ञान सहाय पुत्र बौदराम जगि साहय ला-डे

बनाम तहसीलदार किशनगढ रेनवाल (प्रतिवादी)

दावा दुरस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88,89

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वादी की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वाद निम्न प्रकार है :-

ग्राम जोरपुरा पटवार हल्का जोरपुरा सुन्दरिया तहसील कि लेनवास
के आराजी खसरा नम्बर 212, 214, 225 + 227, 231, 244, 248, 280, 223, 239
328, 245, 224

में वादी का नाम व विवरण अज्ञान सहाय पुत्र बौदराम जगि साहय ला-डे

के स्थान पर

अज्ञान सहाय पुत्र बौदराम जगि साहय ला-डे

पर दुरस्त किया जावें।

उपरोक्त वाद के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजों के अवलोकन करने तथा रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि./तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर एवं केम्प कोर्ट में गजमेंआम में जांच की जाने पर उक्त दुरस्ती से किसी सहखातेदार का हित प्रभावित नहीं होने से वादी का वाद डिकी किया जाना उचित है

अतः वादा का वाद डिको किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
भगवाना पुत्र वादमा	भगवान सदापुत्र
	वैदुलम
 सत्यमेव जयते	

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतू लिखा जावे।

किं रैनवाल

सहायक कलेक्टर
सांभर लेक

सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)